B.R.A.B.U. Muzaffarpur.

TDC-1st (H) Paper-II 02/06/2021

मुस्लिम विवाह के प्रकार (Type of Muslim Marriage)

मुसलमानों में विवाह एक संविदा होने के कारण एक स्थायी बन्धन नहीं है बल्कि अस्थायी रूप से भी मुस्लिम विवाह के तीन रूप प्रमुख हैं —

(1) निकाह (Permanent marriage) - निकाह को 'सही विवाह' भी कहा जाता है जिसमें पति-पत्नी की स्वतन्त्र सहमति से विवाह सम्बन्ध स्थापित होता है और तलाक न दिये जाने तक वह बना रहता है। ऐसे विवाह पूर्णतया मुस्लिम रीतियों के अनुसार होते हैं यद्यपि मुसलमानों में इस रूप का प्रचलन सबसे अधिक है लेकिन सुन्नियों में केवल इस स्वरूप को ही मान्यता दी जाती है।

(2) मुता विवाह (Temporary Marriage)

इस विवाह की सर्वप्रमुख विशेषता है कि इसका अनुबन्ध (contract) कुछ / एक

विशेष अवधि के लिए होता है और इस अवधि के समाप्त होते ही विवाह सम्बन्ध अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि पति निश्चित अवधि से पहले ही विवाह सम्बन्ध को समाप्त करना चाहे (हिबा-ए-मुद्दत) तब उसे उसी समय महर की पूरी राशि का भुगतान करना होता है और यदि पत्नी (सीद्धा) ऐसा करती है तब उसे अवधि के अनुपात में ही महर की राशि का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। ऐसे विवाहों से उत्पन्न बच्चों का भी पिता की सम्पत्ति में हिस्सा हो जाता है। "कुरान" के कट्टर अनुयायी शिया लोग कुरान के आधार पर इसकी वैधता पर बल देकर इसे व्यवहार में लाना बुरा नहीं समझते।" ऐसा प्रतीत होता है कि अरबी सामाजिक व्यवस्था में पहले इसी प्रकार के विवाहों का आधिक्य था लेकिन बाद में इस्लाम धर्म में संशोधन होने से यौन सदाचार के आधार पर मुत्ता विवाह की निन्दा की जाने लगी।

(3) फासिद विवाह

यदि विवाह के बीच कुछ कठिनाइयाँ (फसाद) सामने आती हो और उन्हें दूर किये बिना ही विवाह कर लिया जाय तब ऐसे विवाह को फासिद विवाह कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मुसलमान पुरुष किसी मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह कर ले तब ऐसा विवाह फासिद विवाह होगा। यदि बाद में स्त्री धर्म-परिवर्तन द्वारा मुसलमान बन जाय तो यह सही विवाह हो जाता है।